

8453 Sale 70000

8232

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये



Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

झारखण्ड JHARKHAND

नबपन अधिनियम के नियम 104  
छोटानगपुर कानून रो  
क्रियमाण 1908 की धारा  
के अधिनियम एवं भारत ग स्टाम्प  
अधिनियम 1099  
की अनुसूची 1 का 1क अंश  
के अधिनियम 24 का स्टाम्प व है।

21000-  
21503-47



सन 11/08/08  
४९ नवीस बा० न० 118/08



06  
चार डिस्कोस उपरोक्त  
मौजद कारदार का 7 वेचा के वाला  
राम- राममक लिफाफे

9 लिख्यकारी का नाम वी पुरा पता:-

श्री पुरुषोत्तम तिवारी पिता स्व. गिरिवर तिवारी  
जाति ब्राह्मण साकिन मौजा बरालोटा डाकघर  
जी. ए. ए. कॉलेज बरालोटा धाना मैदिनीनगर  
जिला पलामू पैसा खेती साक्षीयता भारतीय-1

10 लिख्यकारी का नाम वी पुरा पता:-

लालिा देवी दुर्ग लाली देवी पति स्व. राम  
श्रीम प्रकाश यादव जाति आहिर साकिन मौजा  
खन बिगहा डाकघर उंगरी रोड धाना पाण्डू

पहचान कती  
श्रीरंज तिवारी  
पिता - पुरुषोत्तम तिवारी  
ग्राम - बारालोटा



झारखण्ड JHARKHAND

जिला पलामू पेशा सद्विणी खादीयता भारतीय — A 263967  
 पैन नं० BBIPD 1064 P

3 लेख्य प्रकार:- विक्रय-पत्र केवाला (Sale deed) — 1

15 दिय मूल्य:- सी० ७,००,०००/- (सात लाख) रुपये — 1

वाजार मूल्य:- सी० ७,००,०००/- (सात लाख) रुपये — 1

दर:- सी० १,७५,०००/- रुपये प्रति डी० आवासीय — 1

18 सम्पति:- सवाजी 08 (चार) डी० जमीन टाड़ आवासीय गृह निर्माण योग्य वारन सह निर्माण हेतु वाके मीना वारालोटा धानावो अंचल मेदिनीनगर जिला पलामू डुलाकेवो जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू का हकियत कारन सौरवणी रीयती सम्पति को विक्री करते हैं। डिमाण्ड त्रिवेणी तिवारी के नाम से होल्डींग नं० 3-2-1 / 4-2-2 पर चलता है।

12/08/2023  
 11/11/2023

धाना नं०	तौजीनं०	खेपट नं०	तहका नं०
१-६-८	५१	१	वारालोटा

गो० अमीर कुमार  
 १५/११-२०२३-२/गो० अमीर कुमार (अपने)  
 अक्षय+५०-कुडम  
 नं० 11-१-२०२३



झारखण्ड JHARKHAND

A 263968

खताना नं०	प्लॉट नं०	अकड़ा
२३ (लेक्स)	१५० (एक सौ पचास)	०-०३ $\frac{३}{४}$
तैवे	१५१ (एक सौ एकवन)	०-०१ $\frac{१}{४}$

चौहडी  
 ३० नीम विक्रीत  
 ८० दस फीट चौड़ा  
 आस्ता पी. सी. सी  
 पूर्व से  
 पु० नीम विक्रीत  
 प० पारस नाम सिंह

जमीन का माप

पूरव से पश्चिम दोनों मुजा ३३ फीट दूबंच चौड़ा-।

असलाना माल!- मौ० २१-अवधे अलावे शीघ-।

नाम मालिक!- साबरवाड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी  
 मेदिनीनगर जिला पलामू-।

विदित हो कि पश्चिका हाजा के खाना  
 अखंडा पांच की वर्तित सम्पति लेख्य कारी की  
 हकियत कारन मौराणी श्रेमती तक हासिल है,  
 जिस पर शांति पूर्वक अपना कब्जा दरकल कायम  
 को देख देख होते चला आरहा है तथा फर  
 वर्तित सम्पति हर तरह से चाकरी साफ है किसी  
 प्रकार के कर्ज भार देन से मुक्त है और न ही

गवाह सत्येन्द्र तिवारी  
 पिता- एच. सुशील तिवारी  
 निम्न- पत्नी का १११११२६१३



झारखण्ड JHARKHAND

A 263969

कोई कागजी नुक्सा है न ही किसी के नाम हस्ता-  
लरि किया गया है।

अह कि इस समय लेख्य कारी को रूपये  
के भाति आकष्यकता वरने करने अपना जरुरी  
कार्य है। जो किना ऊपर वर्णित सम्पति की किराफकी  
रूपये का प्रबंध होना असंभव प्रतीत हुआ।

लिखा ऊपर वर्णित सम्पति की जब विक्री  
करने के लिए प्रचार-प्रसार किये तो कई व्यक्ति  
एवं लेख्यधारी भी आये जिसमें लेख्यधारी ही  
सबसे अधिक मूल्य पर खरीदने की तैयार हुए  
तथा तय जर समन का कुल रूपये वसूल पाकर  
अह विक्रय-पत्र किमाला लिखे तथा कुल कब्जा  
पक्कल भी आज के ही दिने ही लेख्यधारी को  
सौंप दिया।

आव चाही कि ऊपर वर्णित सम्पति पर  
लेख्यधारी अपना दरफल कब्जा कायम कर धर  
सकान बनावे या जैसे भी चाहे अपने तथा अपने  
परिवारों के उपभोग से लाभ करे तथा अपना नाम  
वसरकार के सिरिस्ते में दर्ज कराकर उसलाना माल  
देकर मालगुजारी की रसीद हासिल किया करे।

पुस्तक नुमा लिखा

उस सम्पत्ति से लेख्यकारी को उनके वाशिंग  
- दर गुजरे की पात्र आये।

2011/11/10/03

इसलिए आज लेख्यकारी अपनी तन-  
मन की पूरी सैहत में बिना किसी प्रकार के नशा  
खाए बिना ही ठीकी तबबत में अपनी लाभ-हानि  
की ठाच्छी तरह से सौच समझकर बिना किसी  
के बिदे दाबना जागज के यह विक्रय-पत्र केवाला  
लिख बिदे कि समय पर काम आवे की प्रमाण  
है। आज दिनांक ११ माह सितम्बर सन् १९३४

म लीताईवी ३५  
म लीताईवी



११/११/३४

प्रमाणित किया जाता है कि पत्थेक व्यक्ति जिनका  
दायाल्वेज दरनावेज में लगा है वारं हाथ के सभी  
अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया है।

काबि मनोज कुमार पाठक तांडे मेदिनीनगर पलाह  
- दरनावेज अनुमात्रि से ११/११/३४  
जोटे-केवाला पाकर दोनों पक्षों की सुनादिया।

ता ११-१-१३

दरनावेज में वर्तित भूमि, सरकारी भूमि, वन  
भूमि, मंदिर मारुजद की भूमि, भू-दान की भूमि,  
किसी प्रकार से प्राविधिक भूमि तथा इसके  
दरनावेज से सी० एन० टी० एक्ट का इलखण  
नहीं है। रहा है।